कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0राज्य सडक परिवहन निगम,मेरठ क्षेत्र।

E-mail:-rmmrt@upsrtc.com

पत्रांक 4539/एमआर/स्था0–संविदा परिचालक–आबद्धीकरण–विज्ञप्ति/19 दिनांक 28/09/2019

–:कार्यालय विज्ञप्तिः–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ क्षेत्र के अर्न्तगत समस्त डिपो में बस संचालन हेतु संविदा के आधार पर पारिचालकों को आबद्ध किया जाना है। मेरठ क्षेत्र में वर्तमान में संविदा परिचालकों की रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Region	कुल पद	समान्य जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिनाँक प्रारम्भ	दिनाँक प्रारम्भ
Meerut	162	88	18	31	25	30.09.2019 **प्रातः10 बजे से**	06.10.2019 **साय 05:00 बजे तक**

मेरठ क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर संविदा परिचालकों हेतु निम्न विवरण के अनुसार ऑनलाईन आवेदन निगम की वेबसाईट www.upsrtc.com पर आमंत्रित किया जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया जाना आवश्यक है। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार किया नही जायेगा। आबद्धीकरण हेतु नियम व शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. अभ्यर्थी की आयु 01.09.2019 को न्यूतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार छूट दी जायेगी। उ0प्र0 परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारी 65 वर्ष से कम आयु तक आवेदन कर सकते है।
2. अभ्यर्थी की योग्यता–मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा उसके समकक्ष बोर्ड से इण्टरमीडिएट हो साथ ही बिन्दु संख्या 03 में उल्लिखित एक स्त्रोत की योग्यता अवश्यक रखता हो।
3. अभ्यर्थी का इण्टरमीडिएट होने के साथ–साथ निम्नलिखत स्त्रोतों में से किसी भी 01 से अथवा एक से अधिक की अधिमानी अर्हता रखना आवश्यक होगा। नीचे उल्लिखित **(क)** से **(छ)** स्त्रोतों की अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक के अधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन कर आबद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(क) मेरठ क्षेत्र मे निगम सेवा के दौरान मृतक नियमित/संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित योग्यता अनुसार चयन कर आबद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) उ0प्र0 परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी(जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो)

(ग) भूतपूर्व सैनिक।

(घ) अर्धसैनिक बलो के सेवानिवृत्त कर्मचारी।

(ड) एन0सी0सी0 का "B" प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी।

(च) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने निलिट संस्था से "A" लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया गया हो।

(छ) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से आई0टी0आई0की. प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।

निरन्तर पेज–2

Downloaded From www.upsrtc.com

Scanned by CamScanner

यदि प्रथम 07 स्त्रोतों (क) से (छ) तक स्त्रोतों से अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो पाते है तो स्त्रोत (ज) की अधिमानी अर्हतां रखने वाले इण्टरमीडिएट पास अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा।

(ज) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने निलिट संस्थान से "O" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

4. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन निगम बेबसाईट www.upsrtc.com पर Employment Link में जाकर संविदा भर्ती मेरठ क्षेत्र में जाकर Click करना होगा। प्रदर्शित फार्म पर अपना डाटा भरना होगा साथ ही फार्म पर अपना फोटो व अन्य प्रमाण पत्र स्केन कर लगाना होगा।
5. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय निम्नवत् आवेदन शुल्क को डेबिट कार्ड/केडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा। आवेदन हेतु देय शुल्क का विवरण निम्नवत् हैः–

1.	सामान्य वर्ग एंव पिछड़ा वर्ग हेतु शुल्क	रूपये 200/–
2.	अनूसचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु शुल्क	रूपये 100/–
3.	उ0प्र0 परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए	निःशुल्क

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल न0 को चालू रखना होगा। क्योंकि उक्त रजिस्टर्ड मोबाईल न0 एवं बेबसाईट www.upsrtc.com के माध्यम से शैक्षिक अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उपस्थित होने की तिथि सूचित की जायेगी।
7. ऐसे अभ्यर्थी जो साईबर कैफे ऑनलाईन आवेदन करते है। वह अपना मोबाईल न0 जिस पर उनको एस0एम0एस से सूचना प्राप्त होनी है। उसका अंकन अवश्य करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो परिवहन निगम उनकों सूचना/एस0एम0एस0 न मिलने के लिए उत्तरदायी नही है।
8. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के समय जिस मोबाईल न0 का उल्लेख फार्म पर किया जायेगा वह भविष्य में भी चालू रखना अनिवार्य होगा। क्योंकि अभ्यर्थियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से उसी मोबाईल न0 पर सूचना दी जायेगी। मोबाईल बन्द अथवा डी0एन0डी0 की स्थिति में एस0एम0एस0 न पहुंचने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगें।
9. परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा चयन प्रकिया के लिए जारी समय–समय पर किये गये दिशा निर्देश चयन प्रक्रिया पर लागू होगे।
10. संविदा परिचालकके लिए आवेदित अभ्यर्थियों की इण्टरमीडिएट के प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट सूची आरक्षणवार अलग–2 तैयार की जायेगी। इसी सूची के आधार पर ही क्षेत्र में रिक्तियों के अनुसार संविदा परिचालकों के आबद्धीकरण की कार्यवाही की जायेगी। बराबर प्राप्तांक प्रतिशत पाने की दशा में जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है, को वरिष्ठ माना जायेगा।
11. चयन के पश्चात अभ्यर्थी को वैरिफिकेशन के समय रजिस्ट्रेशन फार्म भरे जाने के साथ लगाये गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति व मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र

निरन्तर पेज–3

Downloaded From www.upsrtc.com

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. अनुसूचित जाति/अनूसचित जनजाति को नियमानुसार आरक्षण देय होगा एवं आरक्षण का लाभ पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं मूल प्रति वेरिफिकेश्न के समय क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार मेरठ क्षेत्र के किसी भी डिपो में तैनात किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को आबद्ध किये जाने से पूर्व उनसे स्वयं की घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज कूटरचित अथवा फर्जी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाऐगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों को 10,000/–प्रतिभूति के रूप में निगम कोष में जमा कराने होगे। इन्हें 03 से 07 दिन का अवैतनिक प्रशिक्षण डिपो स्तर पर दिया जायेगा।
15. चयनित संविदा परिचालकों से डिपो स्तर पर द्विपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा तथा इनकी सेवाएं इस अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगी।
16. चयनित संविदा परिचालकों को परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय निर्धारित दरो के अनुसार कि0मी0 के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. परिवहन निगम से सेवा से पृथक किये जा चुके या किसी भ्रष्टाचार/कदाचार के कारण संविदा से हटाऐ गये पूर्व कार्मिक इस भर्ती हेतु अर्ह नही होंगे यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में यह तथ्य पूर्व अथवा अनुबन्ध के पश्चात संज्ञान में आता है तो उसकी संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी एवं उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि कोई चयनित अभ्यर्थी परिचालक पद का प्रशिक्षण लेने के उपरांत परिचालक का कार्य करने हेतु अपने कार्य पर उपस्थित नही होता है तो उसकी संविदा परिचालक पद की जमा प्रतिभूति को वापिस नही किया जायेगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी की भ्रष्यचार प्रकरण/अन्य प्रकरण में पूर्व में किसी भी क्षेत्र से संविदा समाप्त की गई है तो वह आवेदन करने के पात्र नही होगें।
20. उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदनों की श्रेष्ठता सूची रजिस्ट्रेश्न दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगी। तदोपरान्त आवेदन/सूची स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

(नीरज सक्सेना)
क्षेत्रीय प्रबन्धक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को ई–मेल द्वारा सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (कार्मिक) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ एव इस आशय से की इस ज्ञापन को आनॅलाईन फार्म भरने तक निगम वेबसाईट साईट www.upsrtc.com पर ayushicomputer.org को लिंक कराते हुए तदानुसार रिक्तिया अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. मैसर्स आयुषी कम्पयूटर्स प्रा0लि, बी–112 सरस्वती मार्ग बजाज नगर जयपुर को इस आशय से कि आपसे हुए अनुबन्ध के तहत आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार निगम मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त रिक्तियों परिवहन निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराना सनिश्चित करे।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, (वित्त),उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
6. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि इस विज्ञापन को अपने स्टेश्न के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

(नीरज सक्सेना),
क्षेत्रीय प्रबन्धक।

Downloaded From www.upsrtc.com

Scanned by CamScanner